राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 4984/2020

रेवड़िया पुत्र श्री ग्यारसा, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी गंगागडवाड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, अपने तहसीलदार (भूमि), सिकराय, जिला दौसा (राजस्थान) के माध्यम से

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं)के लिए : श्री हरि कृष्ण शर्मा

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

आरक्षित तिथि : 10.10.2024

घोषित तिथि : 16.10.2024

1. यह याचिका राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 04.05.2018 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार ने 06.01.2010 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक संदर्भ दिया। इसमें कहा गया था कि ग्राम गंगाद्वारी तहसील सिकराय के खसरा नंबर 15 में स्थित 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि को उप-मंडल अधिकारी ने याचिकाकर्ता को 28.09.1978 के आदेश के तहत आवंटित किया था, जबकि वह भूमि 'गैर मुमकिन नाला' थी। याचिकाकर्ता को खेती के उद्देश्य से भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी। 2004 एससीसी ऑनलाइन राज. 676 में रिपोर्ट की गई डी.बी. सिविल रिट **याचिका (पीआईएल) संख्या 1536/2003 (अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य)** में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की मुख्य पीठ के 02.08.2004 के निर्णय पर भरोसा किया गया था। बोर्ड को किए गए संदर्भ को 04.05.2018 के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया था। यह आदेश दिया गया कि खसरा संख्या 15 में 2 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन नाला भूमि का आवंटन रद्द किया जाए और राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों को तदनुसार बदला जाए।

(29/05/2025 को 02:52:18 बजे डाउनलोड किया गया)

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि पिछले कई वर्षों से नाले में पानी नहीं बह रहा है, भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा है और भूमि का आवंटन रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 16 और राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 4 नीचे पुन: प्रस्तुत हैं :-

> **16. वह भूमि जिसमें खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होंगे-** इस अधिनियम या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, खातेदारी अधिकार उस भूमि में अर्जित नहीं होंगे।
>
> (i) चारागाह भूमि;
>
> (ii) नदी या तालाब के तल में आकस्मिक या कभी-कभार खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि;
>
> (iii) पानी से ढकी भूमि और सिंघाड़ा या अन्य समान उपज उगाने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली भूमि;
>
> (iv) स्थानान्तरित या अस्थिर खेती वाली भूमि;
> (v) राज्य सरकारों के स्वामित्व और रखरखाव वाले उद्यानों में शामिल भूमि;
> (vi) सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए अर्जित या धारित भूमि;
> (vii) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय सैन्य पड़ाव स्थल के लिए अलग रखी गई है;
> (viii) छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि;
> (ix) रेलवे या नहर की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि;
> (x) किसी सरकारी वन की सीमा के भीतर की भूमि;
> (xi) नगरपालिका की खाई खोदने की भूमि;
> (xii) कृषि शिक्षा या खेल के मैदान के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा धारित या अर्जित भूमि; और
> (xiii) किसी सरकारी कृषि या घास फार्म की सीमा के भीतर की भूमि;
> (xiv) वह भूमि जो अलग रखी गई हो या कलेक्टर की राय में, किसी गाँव या आसपास के गाँवों के लिए पेयजल हेतु किसी जलाशय या टांके में जल प्रवाह के लिए आवश्यक हो:
>
> **परन्तु** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कोई भूमि जो स्थानान्तरित या अस्थिर खेती के अधीन है, ऐसी खेती के लिए भूमि नहीं रहेगी और तदुपरि ऐसी भूमि खातेदारी अधिकारों के अनुदान के लिए उपलब्ध होगी और राज्य सरकार, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कोई भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर स्थानान्तरित या अस्थिर खेती के अधीन नहीं थी, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से ऐसी खेती के अधीन होगी और तदुपरि ऐसी भूमि ऐसी खेती के लिए उपलब्ध होगी।

(29/05/2025 को 02:52:18 बजे डाउनलोड किया गया)

नियम 4. इन नियमों के अंतर्गत आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होगी.- निम्नलिखित श्रेणियों की भूमि इन नियमों के अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात-

(i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में उल्लिखित भूमि;
(ii) विमानों के उतरने के लिए निर्धारित भूमि;
(iii) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम 13, 1953) की धारा 28 के अंतर्गत गठित ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमि;
(iv) किसी गाँव की आबादी से सटी या उसके निकट स्थित छोटे बाड़े या खलिहानों के लिए आरक्षित भूमि;
(v) निम्नलिखित के अंतर्गत भूमि-
(क) पाँच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की नगरपालिका सीमाओं की तीन मील की त्रिज्या;
(ख) दो लाख या उससे अधिक, किन्तु पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों की नगरपालिका सीमाओं की दो मील की त्रिज्या;
(ग) एक लाख या उससे अधिक, किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों की नगरपालिका सीमाओं की एक मील की त्रिज्या;
(घ) किसी अन्य कस्बे की नगरपालिका सीमा;
(ङ) रेलवे बाड़ की एक सौ गज की परिधि; या
(च) राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग या केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य सड़क के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सीमाएँ, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी अधिनियम या नियमों में निर्दिष्ट सीमाएँ या सड़क के केंद्र से पैंतालीस मीटर, जो भी अधिक हो;
(vi) राजस्थान भू राजस्व (लवणीय क्षेत्र आवंटन) नियम, 1962 के अंतर्गत लवणीय क्षेत्र घोषित भूमि; या
(vii) भूमि आवंटन के किसी विशेष नियम के अंतर्गत आवंटन हेतु आरक्षित भूमि।

5. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, नदी या तालाब के तल में यदा-कदा खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। नियमों के नियम 4 के अनुसार, अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित भूमि की श्रेणियाँ कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होंगी।

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि खसरा संख्या 15 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि संवत 2008-2022 तक गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज है। गैर मुमकिन नाला होने की प्रकृति के संबंध में किसी विवाद के अभाव में, इसका आवंटन नहीं किया जा सकता था। यह आवंटन अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन था।

(29/05/2025 को 02:52:18 बजे डाउनलोड किया गया)

7. इस न्यायालय ने अब्दुल रहमान (सुप्रा) के मामले में अपने दिनांक 03.10.2006 के आदेश में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

> "रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित दिनांक 02.08.2004 के आदेश द्वारा दिनांक 9.4.2003 के अंतरिम आदेश को निरंकुश बना दिया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश में उल्लिखित समिति की सिफारिशों पर विचार करने और जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है और सुझावों को सकारात्मक रूप देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। आदेश में निहित निर्देशों में से एक यह था कि 15.8.1947 तक नालों, नदियों, सहायक नदियों आदि जैसे जल निकासी चैनलों के रूप में दर्शाई गई सभी भूमि को सरकारी भूमि घोषित किया जाना चाहिए। 15.8.1947 के बाद किए गए किसी भी रूपांतरण को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, विवादित आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

10. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

मेनिष/रिये/1

क्या रिपोर्ट योग्य है हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:52:18 बजे डाउनलोड किया गया)

(29/05/2025 को 02:52:18 बजे डाउनलोड किया गया)